कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश

17, अरेरा हिल्स, पोस्ट बॉक्स नंबर 1164 भोपाल

दूरभाष–2550488,2550446,2553305,2551282 फैक्स–0755–555162

E-mail : chiefelectoralofficermp@gmail.com, website : ceomadhyapradesh.nic.in

फा.क्र. 02/2014/तीन/ 4342 **भोपाल, दिनांक** 13.4.18

प्रति,

कलेक्टर एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी (समस्त),
मध्यप्रदेश

विषयः निर्वाचक नामावली की प्रति उपलब्ध कराने हेतु दर निर्धारण बाबत्।

उपरोक्त विषयांतर्गत आगामी विधानसभा निर्वाचन 2018 एवं लोकसभा निर्वाचन 2019 के लिये मतदान केन्द्रों की सूची एवं मतदाता सूची सशुल्क प्रदान करने हेतु दर आदि की जानकारी निम्नानुसार है :–

1. निर्वाचक नामावली मैनुअल, 2016 अनुसार विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली वाली सी.डी. प्रति सी.डी. 100/– रू. मात्र के मूल्य पर पी.डी.एफ. फार्मेट में निर्वाचक नामावली की सॉफ्ट कॉपी (निर्वाचकों के फोटो के बिना) प्रदान की जा सकती है।
2. निर्वाचक नामावली विक्रय हेतु कार्यालयीन ज्ञाप क्रमांक 6396 दिनांक 07.11.2003 द्वारा सामान्य अवधि के लिये रूपये 1/– (एक रूपये), शीघ्रता के लिये रूपये 2/– (दो रूपये) एवं निर्वाचक नामावली की सत्यप्रति देने हेतु 240 शब्द तक के लिये रूपये 10/– (दस रूपये) दर निर्धारित कर पत्र भेजा गया है।
3. रिटर्निंग ऑफिसर हैण्डबुक के पैरा क्र. 2.30 में दिये गये प्रावधानानुसार मतदान केन्द्र की सूची नियत मूल्य पर विक्रय कर दी जाना चाहिए, जिसकी फीस/दर राज्य में किसी आदेश की प्रतिलिपि के लिये राजस्व अधिकारी द्वारा वसूल की जाती है। इसके लिये आवेदन के संबंध में वही प्रक्रिया अपनायी जायेगी जो राजस्व अधिकारी द्वारा निपटारा किये जाने वाले किसी मामले के संबंध में किये आवेदन–पत्र के लिये अपनायी जाती है।

आयोग द्वारा जारी मैनुअल में दिये निर्देशों की प्रति संलग्नकों सहित संलग्न है। कृपया तदानुसार कार्यवाही सुनश्चित करने का कष्ट करें।

<u>संलग्नः उपरोक्तानुसार</u>

13.4.18
(एस.एस. बंसल)
संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी,
मध्य प्रदेश

पृ क्र. 02/2014/तीन/ 4343 **भोपाल, दिनांक** 13.4.18

प्रतिलिपिः

1. सचिव, भारत निर्वाचन आयोग, निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली की ओर अग्रेषित।
2. संभागीय आयुक्त (समस्त), मध्य प्रदेश की ओर अग्रेषित।
3. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल की ओर अग्रेषित।
4. निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (समस्त), मध्यप्रदेश की अग्रेषित।
5. श्री राहुल बाघमारे, प्रोग्रामर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित कर लेख है कि निर्देशों को वेबसाईट पर अपलोड कर अधोहस्ताक्षरकर्ता को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

13.4.18
(एस. एस. बंसल)
संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी,
मध्य प्रदेश

25.5.2 निर्वाचक नामावली के प्रत्येक पृष्ठ पर/सीडी/डीवीडी के लेबल पर यह स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया जाना चाहिए कि यह निर्वाचकों की सुविधा के लिए केवल एक लोकेटर है न कि सांविधिक निर्वाचक नामावली और इसका उपयोग सांविधिक प्रयोजनों के लिए नहीं किया जाएगा।

25.6 **विधान सभा सदस्यों को निर्वाचक नामावलियों की प्रतियां नि:शुल्क प्रदान किया जाना :**

25.6.1 विधान सभा सदस्यों को निर्वाचक नामावली की मुद्रित प्रतियां और सीडी नि:शुल्क प्रदान किए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है, बशर्ते कि संबंधित राज्य सरकार निर्वाचक नामावली की इन अतिरिक्त प्रतियों के मुद्रण के लिए व्यय का वहन करने के लिए सहमत हो। विधान सभा सदस्यों को निर्वाचक नामावली की प्रतियों की अतिरिक्त अपेक्षा को पृथक रूप से मुद्रित करने के लिए लिया जा सकता है और यह निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित तारीखों को निर्वाचक नामावली के प्रकाशन में विलंब के लिए आधार नहीं होना चाहिए।

25.6.2 यदि ऐसी मांग किसी राज्य के राज्य विधान मंडल के सदस्यों द्वारा की जाती है तो संबंधित राज्य विधान मंडल के सचिव को लिखित में संबंधित मुख्य निर्वाचन अधिकारी को एक वचन पत्र के साथ सूचित करना चाहिए कि निर्वाचक नामावली की अतिरिक्त प्रतियों के मुद्रण के व्यय का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा।

25.7 **गैर मान्यताप्राप्त राजनैतिक दलों को निर्वाचक नामावली की प्रतियां प्रदान किया जाना:**
निर्वाचन आयोग ने निदेश दिया है कि गैर मान्यताप्राप्त पंजीकृत राजनैतिक दलों/गैर-सरकारी संगठनों/जनता को अनुरोध पर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली वाली सीडी प्रति सीडी 100/- रु. मात्र के सांकेतिक मूल्य पर पीडीएफ फार्मेट में निर्वाचक नामावली की सॉफ्ट कॉपी (निर्वाचकों के फोटो के बिना) प्रदान की जा सकती है।

* * * * *

कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी,
मध्यप्रदेश
मध्य प्रदेश निर्वाचन सदन,
17, अरेरा हिल्स, भोपाल
दूरभाष- 2550488, 2550446, 2553305, 2551282
फैक्स- 0755- 555162, E-Mail : ceomp@mp.nic.in

V8

भोपाल, दिनांक 7-11-03

फा. क्र. 2/2003/3/6396

प्रति,

समस्त कलेक्टर,
मध्य प्रदेश

विषयः निर्वाचक नामावलियों के विक्रय हेतु मूल्य निर्धारण
संदर्भः इस कार्यालय के पत्र क्र. 2/2003/3/4506 दिनांक 11.07.02 एवं पत्र क्र. 2/2003/3/4817 दिनांक 29.07.03

संदर्भित पत्रों का कृपया पुनः अवलोकन करें । अंतिम रूप से प्रकाशित निर्वाचक नामावली की अभिप्रमाणित प्रतियाँ शीघ्रता के लिये रू. 2.00 प्रति पृष्ठ तथा सामान्य अवधि के लिये रू. 1.00 प्रति पृष्ठ एवं निर्वाचक नामवली की सत्यप्रति देने हेतु 240 शब्द तक के लिये रू. 10.00 निर्धारित कर संदर्भित पत्र द्वारा भेजा गया है । उक्त पत्रों की प्रति पुनः संलग्न है । तदानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें ।

Shrivastava

(जी. पी. श्रीवास्तव)
उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी,
वास्ते मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी
मध्य प्रदेश

186

कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी,
मध्यप्रदेश
मध्य प्रदेश निर्वाचन सदन,

17, अरेरा हिल्स, भोपाल
दूरभाष- 550488, 550446, 553305, 551282
फैक्स- 0755- 555162, E-Mail : ceomp@mp.nic.in

भोपाल, दिनांक 11.7.2003

क्र. 2/2003/3/ 4526

प्रति,

समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश

विषयः निर्वाचक नामावली के उध्दरण की प्रति देने के संबंध में ।

महोदय,

भारत निर्वाचन आयोग के पत्र क्र. 22/2/2002 पी.एल.एन II, दिनांक 08.03.2002 की प्रति संलग्न है का कृपया अवलोकन करें । निर्वाचक रजिस्ट्रीकण नियम 1960 के नियम 33 मे निर्वाचक रजिस्ट्रकरण नियम 22 के तहत लोक प्रतिनिधित्व 1950 की धारा 21(2) एवं 21(3) के तहत प्राप्त आवेदनों का निराकरण निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम 22 के तहत अंतिम रूप से प्रकाशित निर्वाचक नामावली की अभिप्रमाणित प्रतियां शीघ्रता की अवधि के लिये 2 रू. प्रति पृष्ठ तथा सामान्य अवधि के लिये 1 रू. प्रति पृष्ठ रिसीट में जमा कराकर उपलब्ध कराई जाए । आयोग के निर्देशानुसार आपके जिले में निर्वाचक नामावली ——— की प्रति निर्धारित शुल्क जमा करा कर नियमानुसार दी जा सकती है ।

(जी. पी. श्रीवास्तव)
उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी,
वास्ते मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी,
मध्यप्रदेश

11/7/0

155c KAVITA\Sec Pasam 187

कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी,
मध्यप्रदेश
मध्य प्रदेश निर्वाचन सदन,

17, अरेरा हिल्स, भोपाल
दूरभाष- 550488, 550446, 553305, 551282
फैक्स- 0755- 555162, E-Mail : ceomp@mp.nic.in

क्र. 2/2003/3/ 4677

प्रति,

भोपाल, दिनांक 29.07.02

समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश

विषय: निर्वाचक नामावली की प्रतिलिपि देने हेतु मूल्य निर्धारण ।
संदर्भ: इस कार्यालय का पत्र क्र. 2/2003/3/4506 दिनांक 11.07.02

संदर्भित पत्र द्वारा निर्वाचक नामावली की सत्यप्रति देने हेतु 240 शब्द तक के लिए रू. 10.00 निर्धारित की जाती हैं । उक्त राशि निर्वाचन रिसीट मद में नियमानुसार जमा कराई जाए।

(मु.नि.प. द्वारा अनुमोदित)

(जी. पी. श्रीवास्तव)
उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी,
वास्ते मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी,
मध्यप्रदेश

मतदान केन्द्रों के भवन के नाम में परिवर्तन :

2.28 किसी मतदान केन्द्र के लिए मतदान-केन्द्रों की सूची का अनुमोदन हो जाने के पश्चात् यदि उस भवन के नाम में जिसमें मतदान केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव हो, कोई परिवर्तन हो जाये, उदाहरणार्थ, किसी प्राइमरी स्कूल को क्रमोन्नत करके मिडिल स्कूल बना दिया जाये या इसी प्रकार का कोई परिवर्तन कर दिया जाये, किन्तु मतदान केन्द्र के स्थान में अन्यथा कोई परिवर्तन न हो तो ऐसे परिवर्तन के मामलों को आयोग के पूर्वानुमोदन के लिए निर्दिष्ट करना आवश्यक नहीं है। फिर भी ऐसे परिवर्तन के बारे में आयोग को सूचित करना चाहिए। राजनैतिक दलों और चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों आदि को भी ऐसे परिवर्तन के बारे में लिखित सूचना देनी चाहिए।

सूची की प्रतियां देना :

2.29 ज्योंही, पैरा 7 में विनिर्दिष्ट तरीके से मतदान केन्द्रों की सूची अंतिम रूप से प्रकाशित होती है, ऐसी अंतिम रूप से प्रकाशित सूची प्रत्येक मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल को जिसे पहले प्रारूप सूची पैरा 6 के अधीन दी गयी थी, निःशुल्क दी जानी चाहिए।

2.30 किसी निर्वाचन में निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को अभ्यर्थिता वापस लेने के अंतिम दिनांक के तुरन्त बाद उस निर्वाचन-क्षेत्र के मतदान केन्द्रों की सूची की तीन प्रतियाँ, निःशुल्क दी जानी चाहिए। यह प्रतियां नियत मूल्य पर बिक्री के लिए भी उपलब्ध करायी जानी चाहिए और ऐसे सभी व्यक्तियों को जो प्रतियों की मांग करें, खुले तौर पर बेची जा सकती है।

2.31 किसी विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र के जिला निर्वाचन अधिकारी/रिटर्निंग आफिसर द्वारा यथास्थिति पुलिस महानिरीक्षक या पुलिस अधीक्षक को भी अपेक्षित संख्या में सूची की प्रतियां दी जानी चाहिए। सूची की प्रतियां संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के रिटर्निंग आफिसर, राज्य सरकार के निर्वाचन विभाग और सहायक रिटर्निंग आफिसर (आफिसरों) को भी दी जानी चाहिए।

2.32 मतदान केन्द्रों की सूची कार्यालयीन वेबसाइट पर भी डाली जानी चाहिए।

आगामी आम निर्वाचनों और उप-निर्वाचनों के लिए मतदान केन्द्रों की सूची :

2.33 आयोग के विद्यमान अनुदेशों के अधीन, आम मतदान केन्द्र कमोबेश स्थायी रूप से स्थापित किये जाने चाहिए ताकि मतदाताओं को उनके मतदान केन्द्रों की जहां, उन्हें मत देने के लिए जाना होगा स्पष्ट जानकारी रहे और उन्हें भिन्न-भिन्न निर्वाचनों के लिए भिन्न-भिन्न स्थानों पर न जाना पड़े। आयोग ने यह भी विनिश्चय किया है कि निर्वाचक नामावलियों को मतदान केन्द्र के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए, अर्थात् प्रत्येक भाग के अन्तर्गत किसी मतदान केन्द्र के लिए नियत सुस्पष्ट मतदान क्षेत्र होना चाहिए। जहां कहीं भी आयोग को इस प्रकार की सूची प्रस्तुत की गयी है और उस सूची के संबंध में धारा 25 के निबन्धनों के अनुसरण में आयोग का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है, वहां ऐसी अनुमोदित सूची उस निर्वाचन क्षेत्र के लिये मतदान केन्द्रों की सूची होगी। भविष्य में जब भी उस निर्वाचन-क्षेत्र में कोई सामान्य निर्वाचन या उप-निर्वाचन हो, जिला निर्वाचन अधिकारी/रिटर्निंग आफिसर को इस बात की जांच करनी चाहिए कि क्या इस निर्वाचन के पूर्व निर्वाचक नामावलियों के कारण मतदान केन्द्रों की पहले से अनुमोदित सूची में कोई भी परिवर्तन या संशोधन करने की आवश्यकता है।